

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/207
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00167
CICOM/R/2019/00584

दिनांक: 17.09.2019

अपीलकर्ता : श्री राम बिलास,
2/116 (अब 19/545), शॉप नं. 43,
अनाज मंडी, बहादुरगढ़,
जिला - झज्जर,
हरियाणा - 124507.

निर्णय की तारीख: 17.09.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.07.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	13.08.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	23.08.2019
प्रथम अपील आवेदन की डायरी सं.	16711/03.09.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 22.07.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम आठ बिंदुओं सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

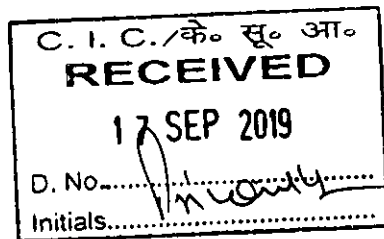
2. संबंधित संचिका (आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 22.07.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 13.08.2019 को प्रेषित सूचना से अधोहस्ताक्षरी पूर्णतः सहमत हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील खारिज की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 47 एफ 872384 अपीलकर्ता को वापस किया जाता है।

संलग्नक - दस रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 47 एफ 872384.



पीयूष अग्रवाल
(पीयूष अग्रवाल)
पंजीयक एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26105021

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Am
17/09/19

8/C